न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 03/2020 (2020/00009)

अनवान : —

1. प्रदीप कुमार पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी अमरपुरा तहसील भादरा हाल आबाद खाबड़ा तहसील व जिला फतेहाबाद

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री बलवन्त सिंह प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम अमरपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 48/71 के मु0 न0 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69 की कुल किता 113 की 26.943 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता एवं चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 331/328 के मु0 न0 109, 110, 145, 146 के कुल किता 34 की कुल 8.602 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी दलीप पुत्र गोपीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम प्रदीप कुमार की बजाये दलीप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता गोपीराम के दलीप नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, 10 वी कक्षा की मार्कशीट में भी प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार पुत्र गोपीराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सूरतपुरा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में प्रदीप कुमार की बजाये दलीप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम दलीप के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम प्रदीप कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार के स्थान पर दलीप दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंको से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम दलीप दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा ग्राम अमरपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 48/71 व चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 331/328 के मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार ने जबाबदावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम अमरपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 48/71 व चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 331/328 के मुश्तर्का खाता में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ''**प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम प्रदीप कुमार पुत्र गोपीराम के स्थान पर दलीप पुत्र गोपीराम दर्ज हो गया।**'' जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, 10 वी कक्षा की मार्कशीट पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार पुत्र गोपीराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम अमरपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 48/71 व चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 331/328 के मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम ''**दलीप के स्थान पर दलीप उर्फ प्रदीप कुमार**'' दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए दलीप ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/202[illegible] [illegible]रे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ